संख्या–BSDM/SDI–25/2016- 1073
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

श्री आर0के0महाजन,
भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,अंगीभूत महाविद्यालय,
बिहार ।

सभी प्रधानाध्यापक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
बिहार, पटना ।

पटना,दिनांक– 29/12/2017

विषयः– कुशल युवा कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 15–25 वर्ष के युवा, जो कम से कम मैट्रीक उत्तीर्ण हैं, को 240 घंटे का कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से दिया जा रहा है ।

इस कार्यक्रम के संचालन हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन विभिन्न व्यक्ति, सोसाईटी, कंपनी, एन0जी0ओ0 के द्वारा किया जा रहा है। कुशल युवा कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु सभी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को अपने स्थापित केन्द्र के ईर्द–गिर्द के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, +2 विद्यालय तथा सभी महाविद्यालयों में गोष्ठी, कार्यशाला आदि के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी लक्षित वर्ग के युवाओं को दिये जाने का निदेश बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा दिया गया है । इसके अलावा जिला स्तर पर बिहार कौशल विकास मिशन के जिला कौशल प्रबंधक (District Skill Manager), Cluster Manager (कलस्टर मैनेजर) एवं Business Development Executive (बिजिनेस डेवलपमेन्ट एक्जीक्यूटिभ) के द्वारा भी प्रचार प्रसार की कार्रवाई की जाती है । माननीय मुख्यमंत्री के विभिन्न यात्राओं के दौरान भी सभी जिला पदाधिकारियों को कुशल युवा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,+2 विद्यालयों तथा कॉलेजों में किये जाने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त अंकित तथ्यों के आलोक में आपके शैक्षणिक संस्थान के ईर्द–गिर्द स्थापित कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के द्वारा आपके संस्थान में कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु गोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाना संभावित है ।

अतः अनुरोध है कि यदि किसी स्थानीय कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी/ मिशन के जिला स्तरीय कर्मी के द्वारा कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु आपसे संपर्क किया जाता है, तो आप उन्हें अपने विद्यालय में इस

कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु गोष्ठी, कार्यशाला आदि आयोजित करने की अनुमति देने की कृपा प्रदान करेंगे ताकि अध्ययनरत छात्रों के बीच इस कार्यक्रम के उपयोगिता की जानकारी दी जा सके ।

नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित,

विश्वासभाजन,

29/12/17

(आर0के0महाजन)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–BSDM/SDI–25/2016- 1073 पटना, दिनांक– 29/12/2017

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि वे अपने स्तर से सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, +2 विद्यालयों में कुशल युवा कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी/ कौशल विकास के कर्मियों को गोष्ठी, कार्यशाला आदि आयोजित करने में सहयोग प्रदान करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने की कृपा करेंगे ।

29/12/17

(आर0के0महाजन)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।